Starred Assembly Question No. 76(14/18/126)
To provide Ration to BPL Families

***76(14/18/126) Ch. AFTAB AHMAD (Nuh) :**

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the number of BPL families deprived of ration in October, November and December, 2023 in the State; if so, the reasons thereof togetherwith the district-wise details thereof; and

b) whether the ration is likely to be distributed among the said deprived families; if so, the time which the ration is likely to be distributed to such families?

Answer: - Dushyant Chautala, Deputy Chief Minister, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Haryana.

a) Sir, it is to inform you that Government of India (GOI) has allocated 66,250 MT of wheat for Haryana State under National Food Security Act, 2013 (NFSA). The allocated quantity of wheat was sufficient enough for the State. In January, 2023 State Government integrated the Parivar Pehchan Patra (PPP)-database with Public Distribution System (PDS)-database and the number of BPL/AAY families/ Beneficiaries have increased from 26,94,484 lakh (December 2022) to 42,05,274 lakh (December, 2023). In this regard, it is also informed that 7708 MT, 5114 MT & 2560 MT of wheat was available as closing balance in the Point of Sale (PoS) devices in October, November & December, 2023 respectively. It clearly indicates that there was no shortage of foodgrains for the BPL/AAY families/ beneficiaries. Additionally, January-2024

onwards, 27000 MT Bajra per month is also being distributed to the newly added eligible beneficiaries, for which the State Government is spending approximately Rs.76.97 crore monthly from its own budget.

In view of the above closing balance of wheat available in the PoS devices it is clear that no BPL/AAY family/ Beneficiary was left deprived of the ration.

b) Does not arise in view of response to part (a).

तारांकित प्रश्न संख्या 76 (14/18/126)

बीपीएल परिवारों को राशन उपलब्ध करवाने बारे।

***76 (14/18/126)** चौ. आफताब अहमद (नूहं),

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएगें किः–

(क) राज्य में अक्तूबर, नवंबर तथा दिसंबर, 2023 में राशन से वंचित बीपीएल परिवारों की संख्या कितनी है, यदि हां, तो इसके कारण क्या है तथा इसका जिला–वार ब्यौरा क्या है, तथा

ख) क्या उक्त वंचित परिवारों के बीच राशन वितरित किए जाने की संभावना है, यदि हां, तो ऐसे परिवारों को राशन कब तक वितरित किए जाने की संभावना है?

उत्तरः– दुष्यन्त चौटाला, उप मुख्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा

(क) महोदय, आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन0एफ0एस0ए0) के तहत हरियाणा राज्य के लिए 66,250 मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया है। गेहूं की आवंटित मात्रा राज्य के लिए पर्याप्त थी। जनवरी, 2023 में राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पी0पी0पी0)-डेटाबेस को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) –डेटाबेस के साथ एकीकृत किया और बीपीएल/एएवाई परिवारों/लाभार्थियों की संख्या 26,94,484 लाख (दिसंबर, 2022) से बढ़कर 42,05,274 लाख (दिसंबर, 2023) हो गई है। इस संबंध में यह भी सूचित किया गया है

कि प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) उपकरणों में समापन शेष (क्लोजिंग बैलेंस) के रूप में क्रमशः अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर, 2023 में 7708 मीट्रिक टन, 5114 मीट्रिक टन और 2560 मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध था। स्पष्ट है कि बीपीएल/एएवाई परिवारों/लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न की कोई कमी नही थी। इसके अतिरिक्त, जनवरी, 2024 से नये जोड़े गए पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 27000 मीट्रिक टन बाजरा भी वितरित किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार अपने बजट से लगभग 76.97 करोड़ रूपये मासिक खर्च कर रही है।

पीओएस उपकरणों में उपलब्ध गेहूं के उपरोक्त समापन शेष (क्लोजिंग बैलेंस) को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कोई भी बीपीएल/एएवाई परिवार/लाभार्थी राशन से वंचित नही रहा।

(ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।